न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

निर्णय दिनांक :– 28/11/2022

मिशल संख्याः– 591/2022

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

1. कजोड पुत्र हरजी जाति गुर्जर निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थी–

बनाम

तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थी–

तहसीलदार देवली

उपस्थिति :– श्री सत्यनारायण धाकड
अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 73 खसरा नम्बर 10 रकबा 1.67 है0 वाके ग्राम नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि के पडोसी काश्तकार प्रार्थी की खातेदारी भूमि के मेड को नाजायज रूप से तोडकर अपनी भूमि मे मिलाने पर अमादा होने से प्रार्थी व पडोसी काश्तकारों के मध्य विवाद की स्थिति बनी हुई है। प्रार्थी की उक्त भूमि के वर्तमान में सीमा चिन्ह मिट जाने से प्रार्थी व पडोसी काश्तकारों में खेत की सीमा को लेकर आए दिन वाद–विवाद होता रहता है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि की मौके पर जाकर पत्थरगढी कर सीमा चिन्ह अंकित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी अपनी भूमि को शांति से काश्त कर अपना जीवन यापन कर सके, मौके पर शांति कायम रहे और प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में काश्त करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही हो। उक्त आराजीयात की पत्थरगढी नही कराई गयी तो प्रार्थी को काफी कठिनाईया होगी तथा भविष्य में प्रार्थी व काश्तकारों के मध्य लडाई–झगडा होने व शांति भंग होने की स्थिति बनी रहती है और प्रार्थी व पडोसी काश्तकारों के मध्य में मुकदमें बाजी के उलझने नही पडे। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि की मौके पर जाकर पत्थरगढी

कर सीमा चिन्ह अंकित किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी वावत् श्रीमान तहसीलदार देवली को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार देवली द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो निम्न प्रकार है :— उक्त आराजी प्रार्थी की खातदारी में दर्ज है व कब्जे काश्त की है। आवेदक का अन्य पडोसी खातेदारो से सीमा विवाद है। जिने खातेदारों से सीमा विवाद उन्हे पक्षकार नही बनाया गया। उक्त आराजी की सीमाओ पर अतिक्रमित राजकीय भूमि नही है। उक्त आराजी के सम्बंध में किसी न्यायालय में स्थगन नही है और पूर्व में सीमाज्ञान नही हुआ है।

पत्रावली बहस में नियत की गई ।

अधिवक्त प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की। पत्रावली का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी बहस पर मनन किया। तहसीलदार देवली की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार देवली को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी व पडोसी खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर जमाबंदी सम्वत् 2073–76 में अंकित खाता संख्या 73 खसरा नम्बर 10 रकबा 1.67 है0 वाके ग्राम नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक की विधिवत् पत्थरगढी प्रार्थी/प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कब्जा होने पर की जावे अन्यथा उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर प्रार्थीगण को अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली